



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271956
CG-DL-E-21042026-271956

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2026/वैशाख 1, 1948

No. 278]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2026/VAISAKHA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2026

सं. 01/2026 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 302(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) के साथ पठित, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध हैं, मार्च, 2026 माह के लिए प्ररूप GSTR-3B में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर अप्रैल, 2026 का इक्कीसवाँ दिन करता है।

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2026 के दिन से प्रभावी होगी।

[फा. सं. CBIC-20006/45/2025-GST]

कंगाले शृंखला मोतीराम, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2026

No. 01/2026 – Central Tax

G.S.R. 302(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the GST Council, hereby extends the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3B** for the month of March, 2026 till the twenty-first day of April, 2026, for the registered persons who are required to furnish return under sub-section (1) of section 39 read with clause (i) of sub-rule (1) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

2. This notification shall come into effect from 20th day of April, 2026.

[F. No. CBIC-20006/45/2025-GST]

KANGALE SHRUNKHALA MOTIRAM, Director